APP-A
Crim-I

# FORM No. III
# फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालज : **उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा** मुकाम : **बांसवाड़ा (राज.)**

वादी प्रतिवादी

श्री ईश्वर **बनाम** वरसिंग

किस्म मुकदमा–(वाद पत्र) 183, 209 प्रकरण संख्या– 26 / 20 18

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी श्री ईश्वर पिता मानीया जाति भील निवासी छोटी बड़ोदा [illegible] द्वारा वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 183, 209 विरूद्ध प्रतिवादीगण श्री वरसिंग पिता मानीया जाति भील निवासी छोटी बड़ोदा ... के पेश किया गया। प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक 02-8-2018 को पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>बांसवाड़ा | |
| 2818 | पत्रावली पेश हुई। श्रीमान P.O. महोदय अन्य [illegible] में व्यस्त पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 30-8-18 को पेश हो अभिभाषक वादी द्वारा प्रतिवादीगण के [illegible] अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया | |
| 30-8-18 | पत्रावली पेश हुई। श्रीमान [illegible] कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली 25-9-2018 को पेश हो। | |
| 25-9-18 | पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 14-11-2018 को पेश हो। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:36:28 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 29.9.22 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप०। पत्रावली का अवलोकन प्रा०. 28/4/22 के आदेश में मुकर्रर की। जिसके [illegible] वाद पत्र में अंकित कथनों को भी [illegible] माना जाने का हवाला अधि० वादी द्वारा लिया गया। पत्रावली के अवलोकन, अध्ययन उपरान्त वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा० पत्रावली है।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>[signature]<br>29/9/22<br>उपखण्ड अधिकारी<br>बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.) | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:36:28 IST
Reason: SelfAttested

## निर्णय बाइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा

प्रकरण संख्या– 26/2018 दायर दिनांक–09/07/2018

1.श्री हकरू पिता नानीया जाति भील
2.श्री सबु पिता देवा जाति भील
3.श्रीमती लाली पत्नी स्व. देवा जाति भील
समस्त उम्र वयस्क निवासी छोटी बदरेल, तहसील आम्बापुरा, (बांसवाड़ा)

–वादीगण

बनाम

1.श्री वरसेंग पिता मानीया जाति भील
2.श्री कालु पिता मानीया जाति भील
3.श्री कान्ती पिता मानीया जाति भील
4.श्री मंगला पिता मानीया जाति भील
समस्त निवासी छोटी बदरेल, तहसील आम्बापुरा, (बांसवाड़ा) – प्रतिवादीगण

उपस्थिति–
श्री नन्दलाल पुरोहित – अधिवक्ता वादीगण

### वाद अन्तर्गत धारा– 183, 209 आर.टी.ए

दिनांक– 29/08/22

### निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी काबिज काश्त आराजियात खाता संख्या 106 नया 31 पुराना के खसरा नं 217 रकबा 4–06 बीघा खसरा नं 228 रकबा 1–16 बीघा, खसरा नं 229 रकबा, 2–07 बीघा, खसरा नं 233, रकबा 0–14, बीघा, खसरा नं 241, रकबा 3–14 बीघा, खसरा नं 245 रकबा, 0–01 बीघा, खसरा नं. 246 रकबा 0–02 बीघा, खसरा नं 252 रकबा 0–04 बीघा, खसरा नं. 253 रकबा 1–01 बीघा, खसरा नं. 254 रकबा, 0–11 कुल किता 10 कुल रकबा 14–16 बीघा राजस्व गांव बदरेल खुर्द तहसील आम्बापुरा में स्थित है। जिसमें वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 2 व 3 का 1/2 हिस्सा दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का उक्त प्रश्नगत आराजियात के किसी भी भाग पर कोई विधिक हक, कब्जा नहीं है और न ही पूर्व में रहा है। प्रतिवादीगण व अन्य व्यक्तियों ने दिनांक 5.04.2017 को वादीगण द्वारा खेत की जुताई के समय जबरन प्रवेश कर अवैध तरीके से वादीगण को डरा धमका कर प्रश्नगत आराजी से बेदखल कर कब्जा कर लिया। इस पर वादीगण ने गांव के मौजीज लोगों के द्वारा दिनांक 09.04.2017 को प्रतिवादियों से समझाईश भी की गयी परन्तु नहीं माने और

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:36:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा,जिला बांसवाड़ा (राज.)

जान से मारने की एलनिया धमकी दी। प्रतिवादीगण द्वारा हमारी खातेदारी आराजियात पर कब्जा कर लेने से हमें काश्त करना कठिन हो गया है।इससे हमारे भरण–पोषण की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। वादीगण को वार्षिक फसली नुकसानी एक लाख रुपया प्रतिवर्ष प्रतिवादीगण पाने के हकदार है।

दिनांक 05.04.17 को प्रतिवादीगण द्वारा नाजायज रूप से प्रश्नगत आराजियात पर कब्जा कर लेने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अतः निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार कर विरुद्ध प्रतिवादीगण वादीगण की समस्त खातेदारी, काबिज काश्त प्रश्नगत आराजियात ग्राम बदरेल खुर्द पटवार हल्का बदरेल खुर्द पर प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित कर कब्जा हटवाया जाकर वादीगण के सुपुर्द किया जावे और वार्षिक फसल क्षति 1 लाख रुपये प्रति वर्ष की दर से दिलायी जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मण डोडियार ने वकालतनामा 2.08.18 को पेश कर जवाब 14.11.18 को पेश किया। दिनांक 06.11.19 को निम्न तनकीयात कायम की जाकर विवेचित की गयी।

**<u>तनकी संख्या 1</u>**

आया वादीगण के संयुक्त खातेदारी स्वामित्य व कब्जे काश्त की कृषि का खाता संख्या 106 नया व 31 पुराना के सर्वे नंबर 217 रकबा 4.06 बीघा लगान रुपया 1.59 पैसा, खसरा संख्या 228 रकबा 1.16 बीघा लगान रुपया 0.67 पैसा खसरा संख्या 229 रकबा 2.07 बीघा लगान रुपया 1.32 पैसा खसरा संख्या 233 रकबा 0.14 बीघा लगान रुपया 0.39 पैसा खसरा संख्या 241 रकबा 3.14 बीघा लगान रुपया 1.85 पैसा, खसरा 245 रकबा 0.01 बीघा संख्या 252 रकबा 0.04 बीघा लगान रुपया 0.10 पैसा, खसरा संख्या 253 रकबा 1.01 बीघा लगान रुपया 1.11 पैसा खसरा संख्या 254 रकबा 0.11 बीघा लगान रुपया 0.58 पैसा कुल खेत 10 कुल रकबा 14.16 बीघा कुल लगान रुपया 7.69 पैसा वाके राजस्व गांव बदरेल खुर्द, पटवार मण्डल बदरेल खुर्द, तहसील आबांपुरा जिला बांसवाड़ा में स्थित है। वादीगण नं 1 व प्रतिवादी 2,3 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। –वादीगण

**<u>तनकी संख्या 2</u>**

आया वादीगण उक्त भूमि पर बहेसियत खातेदार कृषक है [illegible] रूप से मौके पर काबिज होकर कमा रहे है। प्रतिवादीगण नंबर 1 से [illegible] का उपरोक्त खाता नंबर 106 नयी 31 पुराना कुल खेत 10 कुल रकबा [illegible]6 बीघा पर या इसके किसी भाग पर कोई विधिक हक, अधिकार एवं कब्जा नहीं है और ना पूर्व में कभी कब्जा रहा है। –वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:36:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा,जिला बांसवाड़ा (राज.)

## तनकी संख्या 3

आया वाद का व्यवहार कारण प्रतिवादीगण नंबर 1 से लगायत 4 तक के द्वारा वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर दिनांक 05.04.2017 को जबरन अतिक्रमण कर मौके पर से वादीगण को बेदखल कर दिये जाने से एवं वादीगण का जान से मारने की धमकिया देने के कारण उत्पन्न हुआ है।

—वादीगण

## तनकी संख्या 4

आया प्रतिवादी उक्त वापत्र पन्रतिवादीगणों को परेशान करने के लिए दायर किया गया है व गलत है तथा वादीगणों ने प्रतिवादीगण को परेशान करने के लिए गलत समन पेश किये गये है। तथा आराजी नंबर 212,216,242,247,248,249,251 कुल क्षैत्रफल 14 बीघा 18 बिस्वा भूमि छोटी बदरेल, तहसील आबापुरा में स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से अंत तक ने वादीगणों के साथ कभी किसी प्रकार का कृषि भूमि के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न नही किया है।

—प्रतिवादीगण

## तनकी संख्या 5

आया प्रतिवादी के विरुद्ध वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बिना किसी आधार व औचित्य का होने के कारण प्रारम्भिक अवस्थ में काबिज खारिज करने योग्य है।

## तनकी संख्या 6

दादरसी —प्रतिवादीगण

पत्रावली पर साक्ष्यवादी हेतु वादी अधिवक्ता द्वारा शपथ–पत्र PW–1 वादी सबु व गवाहान PW–2 मांगीलाल, PW–3 बापुलाल, दिनांक 24.03.21 को पेश किये गये। **अधिवक्ता प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी** और PW–1 द्वारा प्रदर्श EX-1 (जमाबंदी 2070–73) करवाया गया।

पत्रावली पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी। दौराने बहसे विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित अभिकथनों को सही "बहस समझा" जावे का निवेदन किया। हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर गहन अ[illegible]ा गया एक पक्षीय बहस अधिवक्ता वादीगण पर मनन किया।

वाद का निर्णय तनकीवार निम्नानुसार किया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:36:28 IST
Reason: SelfAttested

## तनकी संख्या 1

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा,जिला बांसवाड़ा (राज.)

उक्त तनकी को सिद्ध करने के लिये वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी संवत 2070–73 पेश की जिसमें वादीगण खातेदार तो अंकित है। परंतु PW–1 सबु ने अपने शपथ–पत्र जिसको तस्दीक किया गया है। में वाद पत्र के अभिकथनों एवं प्रदर्श Ex-1 का ही उल्लेख है। PW–2 व PW–3 के शपथ की तस्दीक की जाती है। काबिज काश्त के संबंध में कोइ पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अतः वादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

**तनकी संख्या 2**

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था।

वादीगण ने मात्र 05.04.2017 को प्रतिवादीगण द्वारा कब्जे का उल्लेख तो किया है परन्तु कोई साक्ष्य पेश नहीं किया यही स्थिति शपथ–पत्र वादी PW–1 व गवाहान PW–2 व PW–3 की है। मात्र मौखिक साक्ष्य से तनकी का निर्णय किया जाना तर्क संगत नहीं है अतः इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरुद्ध किया जाता है।

**तनकी संख्या 3**

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था।

वादीगण ने मात्र 05.04.2017 को प्रतिवादीगण द्वारा कब्जे का उल्लेख तो किया है। परन्तु कोई साक्ष्य पेश नहीं यही स्थिति शपथ–पत्र वादी PW–1, व गवाहान PW–2 व PW–3 की है। मात्र मौखिक साक्ष्य से तनकी का निर्णय किया जाना तर्क संगत नहीं है। अतः इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरुद्ध किया जाता है।

**तनकी संख्या 4**

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था।

प्रतिवादीगण ने उक्त तनकी को सिद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार का मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। मात्र जवाब में अंकित अभिवचन के आधार पर तनकी का निर्णय किया जाना तर्क संगत नहीं है। अतः इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरुद्ध किया जाता है।

**तनकी संख्या 5**

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था।

प्रतिवादीगण ने उक्त तनकी को सिद्ध करने के लिए जमाबंदी 2070–73 (3) खाता संख्या 105, 57, 90 प्रस्तुत की जिसमें खातेदार वादीगण न होकर प्रतिवादीगण वरसैंग, नारजी, प्यारचंद इत्यादि अंकित है। जिससे वादीगण से इनका कोई विवाद होना नहीं पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:36:28 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों के आद्योपान्त ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं गहन अध्ययन एवं मनन बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष जाहिर हुआ कि वादी, वाद को वादग्रस्त आराजी खातेदारी तो प्रमाणित करने में तो सफल रहे परन्तु तनकी संख्या 1, 2, 3 को प्रमाणित करने में असफल रहे। इसी प्रकार प्रतिवादीगण तनकी संख्या 4, को अपने पक्ष मे एवं 5 में साबित करने में असफल रहे।

हम पत्रावली पर ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य नहीं पाते हैं कि जिससे प्रश्नगत आराजी पर प्रतिवादीगण ने अतिक्रमण कर रखा है। वादीगण अपने पक्ष को साबित करने हेतु कोई पुख्ता दस्तावेज पेश नहीं किये है। जिससे यह प्रमाणित हो कि अतिक्रमण प्रतिवादीगण द्वारा किया गया है।

पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य/सबूतो के अभाव में निर्णय किया जाना न्यासंगत नही है। निष्कर्षतः उक्त विवेचनानुसार वाद वादी खारिज किया जाना उचित है।

## क्रियात्मक आदेश

वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

29/8

उपखण्ड अधिकारी,
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:36:28 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : बांसवाडा व इजलास :प्रकाश चन्द्र रेंगर (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या 26/2018
उनवान मुकदमा

निर्णय बाइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा

1.श्री हकरू पिता नानीया जाति भील
2.श्री सबु पिता देवा जाति भील
3.श्रीमती लाली पत्नी स्व. देवा जाति भील
समस्त उम्र वयस्क निवासी छोटी बदरेल, तहसील आम्बापुरा, (बांसवाड़ा)

—वादीगण

बनाम

1.श्री वरसेंग पिता मानीया जाति भील
2.श्री कालु पिता मानीया जाति भील
3.श्री कान्ती पिता मानीया जाति भील
4.श्री मंगला पिता मानीया जाति भील
समस्त निवासी छोटी बदरेल, तहसील आम्बापुरा, (बांसवाड़ा)

— प्रतिवादीगण

उपस्थिति—
श्री नन्दलाल पुरोहित

— अधिवक्ता वादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 183, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

दिनांक— 29/08/22

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है। पुख्ता दस्तावेजी सबूतो के अभाव में निर्णय किया जाना न्यायसंगत नही है। अतः उक्त वाद वादी खारिज किया जाता है। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोट— **शून्य** मुबलिग **शून्य** बाबत् **शून्य** खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 29.08.2022 को जारी की गई।

| मुददई | रूपये | पैसे | मृद्दायलह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | — | — | स्टाम्प अर्जी दावा | — | — |
| स्टाम्प अकालतनामा | — | — | स्टाम्प अकालतनामा | — | — |
| स्टाम्प वजह सबूत | — | — | स्टाम्प वजह सबूत | — | — |
| महन्ताना वकील | — | — | महन्ताना वकील | — | — |
| खर्चा गवाहान | — | — | खर्चा गवाहान | — | — |
| फीस कमीश्पन | — | — | फीस कमीश्पन | — | — |
| मुतफरिक | — | — | मुतफरिक | — | — |

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.12.27 14:36:28 IST
Reason: SelfAttested

नोट :— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।

(प्रकाश चन्द्र रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाडा